भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 607]	नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 19, 2014/कार्तिक 28, 1936
No. 607]	NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 19, 2014/KARTIKA 28, 1936

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 नवम्बर, 2014

सा.का.नि. 821(अ).—केंद्रीय सरकार, भांडागारण (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2007 (2007 का 37) की धारा 50 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (क) के साथ पठित धारा 4 की उपधारा (2), उपधारा (3) और उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भांडागारण (विकास और विनियमन) भांडागारों का रजिस्ट्रीकरण नियम, 2010 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भांडागारण (विकास और विनियमन) भांडागारों का रजिस्ट्रीकरण नियम, 2014 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. भांडागारण (विकास और विनियमन) भांडागारों का रजिस्ट्रीकरण नियम, 2010 के नियम 4 के खंड (ख) और खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात :--

"(ख) भांडागारण के कब्जे को उपदर्शित करते हुए स्वामित्व या पट्टा विलेख या किराया करार का सबूत ;

(ग) आवेदक द्वारा यह वचनबंध कि भांडागार का कारबार करने के लिए सभी स्थानीय विधियों का अनुपालन किया गया है " ।

[फा. सं. टीएफसी/16/2012]

प्रशांत त्रिवेदी,संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सं. सा.का.नि. 892 (अ), तारीख 8 नवंबर, 2010 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और पश्चातवर्ती संशोधन अधिसूचना सं. सा.का.नि. 197 (अ), तारीख 2 अप्रैल, 2013 द्वारा किया गया ।